position by increasing its installed capacity, expanding/strengthening transmission and distribution net work, improving consumer service etc.

Product mix of Haldia Petrochemicals

659. SHRI CHITTA BASU:
SHRI EAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the proposed product-mix of the Haldia-Chemicals has finally been determined;

(b) if not, what are the reasons therefor;

(c) whether a proposal to include an item called 'High Density Polythin' (HPDE) has been included in the product-mix; and

(d) if so, what are tne details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) to (d) The letter of intent issued to M/s Haldia Petrochemicals Limited was last amended on 31-3-1986 to revise the product -Mix. The latest product-mix includes High Density Polyethylene (HDPE) also. This item figured in the letter of intent ever since it was issued in 1977.

foreign collaboration for the Haldia Petro-chemicals

660. SHRI CHITTA BASU;
SHRI RAMKRISHNA MAZUMDER:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the Starred Question 301 given in the Rajya Sabha on the 17th March, 1986 and state:

(a) whether the proposal for the foreign collaboration for the Haldia Petro-chemicals has since been cleared by Government; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) The proposals for foreign collaboration for the Haldia Petrochemicals project are still under process.

डाक व तार विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों के संबंध में सबूर समिति का प्रतिवेदन

661. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री 18 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 142 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के विभागेत्तर कर्मचारिवों की सेवा-शर्तों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई सबूर समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है तो विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सबूर समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) उम्मीद है कि सरकार को रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाएगी, इस संबंध में कोई अनुचित विलंब नहीं हो रहा है।

ग्रामीण संचार-प्रणाली

662. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण संचार प्रणाली में कौन-कौन से सुधार किये जाने का विचार है ;

(ख) गाँवों में गैर-सरकारी भवनों में कार्य कर रहे 99 प्रतिशत विभागेत्तर डाक-घरों को मकान किराये का कोई भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें सफाई और मरम्मत की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं ; और

(ग) संचार विभाग द्वारा जैसा कि अंग्रेजी के शासन-काल में किया जाता था, ग्रामीण और शहरी डाकघरों के कार्मिकों में अभी भी भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जा रहीं सेवा की गुणता पर महत्व दिया जाएगा । यह लक्ष्य नियमित मानीटरिंग तथा अन्य साधनों के जरिए पूरा किया जाएगा । विशेषकर, डाक के वितरण और मनी-आर्डरों की अदायगी में सुधार लाने, में अधिक ध्यान दिया जाना है । इसके अतिरिक्त कार्य की गुणता में सुधार लाने के लिए यह भी संभव है कि दूरवर्ती/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में चुनिन्दा आधार पर नए डाकघर खोले जाएं ;

(ख) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का कार्य अतिरिक्त विभागीय एजेंटों द्वारा संपन्न किया जाता है जो अंशकालिक कर्मचारी हैं । अतिरिक्त विभागीय उप तथा शाखा पोस्टमास्टरों के पास केवल अपनी जीविका के पर्याप्त साधन हों बल्कि उन्हें डाकघरों के लिए स्थान भी प्रदान करना होता है । यह उनकी सेवा शर्तों का एक अंग है । तथापि उनकी परिलब्धियों के भाग के बतौर अतिरिक्त विभागीय/उप तथा शाखा पोस्टमास्टरों को प्रतिमाह 10 रुपए कार्यालय अनुरक्षण भत्ता भी दिया जाता है । अतः अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, जिनके चार्ज में ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं, को मकान किराया/सफाई भत्ता तथा मरम्मत की सुविधाएं देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ग्रामीण डाकघरों अथवा शहरी डाकघर में कार्यरत विभागीय कर्मचारी समान दरों पर वेतन तथा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं पाने के हकदार होते हैं । मकान किराया/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता केवल कुछ विशेष पात्र शहरों में ही दिया जाता है । अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है । उनकी परस्पर अदला-बदली की जा सकती है । कर्मचारियों की नियुक्तियां प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में की जाती है । यह स्थिति विभागीय कर्मचारियों के संबंध में है और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के बारे में स्थिति उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दे दी गई है । अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तें विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों से भिन्न हैं । अतिरिक्त विभागीय एजेंट डाक विभाग से होने वाली आमदनी के अतिरिक्त अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई भी अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं जबकि नियमित कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकते । चूंकि विभागीय कर्मचारियों एवं अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा में शर्तें अलग अलग हैं, अतः ग्रामीण एवं शहरी डाकघरों के कर्मचारियों में भेद भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Opening of Public Call Offices

663. DR. MOHD. HASHIM KID-WAI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to open some Public Call Offices at important places like railway stations, ibus depots, hospitals, airports and in localities inhabited by the poor people; and

(b) if so, what is the number of Public Call Offices which are likely to be opened in the country during the Seventh Plan period?